लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

प्रथम तल, खण्ड–सी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर

फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर–0771–2445215, Email Id–cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./शि./सी.भ./2023/428 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रेस विज्ञप्ति

शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया गया है

प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शिक्षक भर्ती के संबंध में सोशल मिडिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ न मिलने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में शिक्षक संवर्ग के कुल 5090 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। जिनमें से अनारक्षित वर्ग के कुल 905 पद है। उल्लेखनीय है कि नियमानुसार मेरिट में उपर आने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता होती है। इस नियम का पालन करते हुये जिन 895 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी किया गया/किया जा रहा है, उनमें से 48 अनुसूचित जाति, 04 अनुसूचित जनजाति, 623 अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 220 अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है और किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय नही किया गया है। इसके बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का दावा है कि मेरिट में उसके नीचे के किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति दी गई है तो वह तत्काल संचालक लोक शिक्षण को आवेदन दे सकता है। संचालक द्वारा समय–सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती में काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है और आरक्षित वर्ग के अनेक अभ्यर्थियों को तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 29 एवं 30 सितम्बर 2023 को बुलाया गया है।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय